

[भारतकेराजपत्र, भाग2, खंड3, उपखंड (i) मेंप्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 59/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली 15 नवंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल औरसेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 41/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1255(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में "15 नवम्बर, 2017" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "24 दिसम्बर, 2017" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फ.सं.349/58/2017-जीएसटी)पीटी]

)रुचि बिष्ट (
अवरसचिव, भारतसरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 41/2017 – केन्द्रीय कर तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1255(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-2, खंड-3, उपखंड(i) में प्रकाशित किया गया था।